# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

## अनुमति वाद संख्या :— 83/18—19

## (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

**लोहरा मुण्डा — विक्रेता**

**अनिल कच्छप — क्रेता**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 10.07.18 | **आदेश** |

आवेदक लोहरा मुण्डा पिता स्व0 सोमरा मुण्डा ग्राम सावड़ा, थाना कर्रा, जिला खूँटी, ने अनिल कच्छप पिता श्री सोमा कच्छप ग्राम सावड़ा, थाना कर्रा, जिला खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकवा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| सावड़ा | 148 | 17 | 337 | 0.15 |

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं0 1483539892 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 575 दिनांक 10.07.18 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम तुरका मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार तुरका मुण्डा वगैरह है। आवेदक के पास कुल रकवा 2.41 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014—15 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 6250.00(छः हजार दो सौ पचास)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 2.26 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लोहरा मुण्डा पिता स्व0 सोमरा मुण्डा को अनिल कच्छप पिता श्री सोमा कच्छप के साथ ग्राम सावड़ा के खाता सं0 17 खेसरा संख्या 337 का रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6250.00(छः हजार दो सौ पचास)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

10/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

10/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।